न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,अनूपशहर, बुलन्दशहर।

उपस्थितः राजेश कुमार–तृतीय (एच0जे0एस0)

सिविल अपील संख्या–4 सन् 2026

CNRNo-UPBU–070000322026

जय प्रकाश पुत्र भूप सिंह उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम नयावास कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

....अपीलार्थी

बनाम्

1. **उत्तर प्रदेश सरकार।**
2. **नन्नू सिंह** पुत्र छीतर सिंह निवासी ग्राम नयावांस कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

...प्रतिवादीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 34 ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008, सिविल वाद संख्या 47 सन 2012 जय प्रकाश बनाम नन्नू सिंह में विद्वान ग्रामीण न्यायालय डिबाई, जिला बुलन्दशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2026 से विक्षुब्ध होकर, उसके विरूद्ध योजित की गयी है।
2. अपील आधार इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक विवेक का ही इस्तेमाल नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालयने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अमीन कमीशन की आख्या को नजर अन्दाज करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया जबकि सिविल वाद में अमीन कमीशन आख्या सिविल वाद का मुख्य और अहम बिन्दु होता है। प्रस्तुत वाद में अमीन द्वारा साफ और स्पष्ठ तौर पर अपनी आख्या में यथा स्थान पर वास्तविक वस्तु व

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.08.12 16:11:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कब्जे का वर्णन किया है। जिस पर अपीलार्थी व प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अमीन आख्या की किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया है। उक्त वाद में अमीन कमीशन रिपोर्ट दाखिल है, जिसमें विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा दर्शाया गया है। सिविल वाद में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना चाहिये कि विवादित सम्पत्ति पर किस पक्षकार का कब्जा है और कब से है तथा कब्जाधारी विवादित सम्पत्ति का मालिक कैसे है, परन्तु पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का सही अवलोकन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न करके अनदेखा किया गया है। अपीलार्थी के पिता श्री भूप सिंह के नाम स्थित ग्राम नयावास कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर के गाटा सं0 336स रकवा0.2420 है0 में ढेड विस्वा का आवासीय पटटा दिनांक 17.03.1978 को हुआ था और तब से लेकर सन 2008 तक अपीलार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थी उक्त पटटे की भूमि पर मालिक काबिज है। जिसकी बाउण्ड्री हो रही तथा अपीलार्थी के पशु बांधे जाते है, जिसे अपीलार्थी रिहायश के रूप में इस्तमाल कर रहा है। अपीलार्थी अपने पिता का अकेला वारिस है और वारिस रूप में उक्त पटटे की भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा उक्त गाटे में प्रतिवादी नन्नू का भी 0.190 है0 जोत की भूमि का पटटा हुआ था। अपीलार्थी व प्रतिवादी दोनों अपने अपने पटटे पर काबिज हैं। अपीलार्थी ने प्रस्तुत वाद में उक्त गाटे में दर्ज आबादी का खसरा प्रस्तुत किया, जिसमें 0.052 हे0 पर आबादी है जिस पर अपीलार्थी काबिज है और प्रतिवादी ने उक्त गाटे का जोत का खसरा प्रस्तुत किया जिसमें 0.190 हे0 पर जोत की भूमि दर्ज है। जिस पर प्रतिवादी काबिज है फिर भी प्रतिवादी अपनी दबगई के बल पर अपीलार्थी की आबासीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश में था तब अपीलार्थी ने उक्त वाद योजित किया था। परन्तु अवर न्यायालय ने आदेश पारित करते समय उक्त साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया और सरसरी तौर पर आदेश पारित किया

गया है। जबकि गाटा संख्या 336 में रकबा के आधार पर भी अपीलार्थी का वाद बनता है और स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत वाद में कलियान सिंहपुत्र टोडी सिंह व अशोक पुत्र शिव चरन निवासीगण ग्राम नयावास कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर को परीक्षित कराया जिन्होनें भी विवादित सम्पत्ति पर अपीलार्थी का कब्जा बताया और विवादित सम्पत्ति की चारदीवारी अपीलार्थी द्वारा करना बताया है, जिसमें अपीलार्थी के पशु बंधते हैं और रिहायश बनाकर रह रहा है। अवर न्यायालय ने उक्त गवाही को नजर अन्दाज करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विपक्षी/प्रतिवादी नं0 2 ने अपनी स्वयं की गवाही व दो गवाह रमेश चन्द पुत्र छीतर सिंह व मदन लाल पुत्र खुशाली सिंह ग्राम नयावास कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर को परीक्षित कराये हैं, जिन्होंने भी अपीलार्थी के कब्जे व पटटे का समर्थन किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त गवाही को भी नजर अन्दाज करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो हर प्रकार से विधि विरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश हर प्रकार गलत है तथा अपीलार्थी हर प्रकार से उक्त विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज है तथा अपीलार्थी का वाद बनता है। अपीलार्थी गरीब मजदूर वर्ग का व्यक्ति है। प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दौरान अपील अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2026 को निरस्त फरमाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2026 को अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब कर गुण–दोष के आधार पर निर्णीत कर अपीलार्थीके हक में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

3. अपीलाार्थी की ओर से अपनी अपील के समर्थन में नकल निर्णय दिनांक 31.03.2026 कागज सं0 7सी2/1 लगायत 7सी2/5 एवं नकल डिक्री दिनांकित 07.04.2026 कागज सं0 8सी2/1 लगायत 8सी2/3 एवं आधार कार्ड की छाया प्रति 9सी1 दाखिल किये गये है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी का वाद सव्यय निरस्त करने का आदेश किया गया है।

5. मूलवाद 47 सन 2012 जयप्रकाश बनाम नन्नू सिंह के अवलोकन से यह विदित होता है यह वाद वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के पैरा नं0 1, 2, व 3 में कथन किया कि वादी के पिता स्व0 श्री भूप सिंह को ग्राम सभा कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर खसरा स0 336स में से 0–1–10 (डेढ विस्वा) भूमि का दिनांक 17. 03.1973 को आबादी का पटटा दिया था जिस पर कि वादी के पिता भूप सिंह पटटा मिलने के तुरन्त बाद से ही अपना कच्चा निर्माण करके अपने पशुओं आदि के साथ रहते थे बाद उनकी मृत्यु के वर्ष 2008 से वादी उनका एक मात्र पुत्र होने के नाते उनके वारिस रूप में उक्त प्लाट पर काबिज एवं दखील चला आ रहा है। जिसे वादपत्र में विवादित प्लाट आगे कहा जायेगा और जिसे कि वादपत्र के अन्त में नक्शा नजरी में अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है और जिसकी चर्तुसीमायें पूरब में सरकारी नाली, पश्चिम में खेत थान सिंह, उत्तर में आबादी प्रेम सिंह, दक्षिण में प्लाट हीरा सिंह है। वादी के पिता द्वारा निर्मित कच्चा निर्माण धीरे धीरे बरसात आदि से ढह जाने के कारण वादी ने 3–3 फिट उॅची बाउण्ड्री विवादित प्लाट की करा दी है और वह अपने पशुओं आदि के साथ उसमें रह रहा है। प्रतिवादी का विवादित प्लाट से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। वह अपनी हेकडी के बल पर वादी के प्लाट विवादित पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। इसी संदर्भ में प्रतिवादी ने दिनांक 20.01.2012 को

वह अपने सार्थियों की मदद से विवादित प्लाट पर कब्जा करने आ गया जिसे वादी ने सम्भ्रान्त व्यक्तियों की मदद से नाकाम कर दिया।

6. प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिवादपत्र 19ए1 के पैरा 13, 14,15 व 16 में कथन किया है कि वादपत्र की धारा 1 में अंकित खसरा संख्या 336स मिनजुमला नम्बर है। वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त नम्बर कितने खातों में है तथा कौन कौन से खातों में कितना कितना रकवा है तथा मौके पर विभाजन किस प्रकार है उक्त नम्बर 336स मिनजुमला से गठित नम्बर होने के कारण उक्त नम्बर की बावत स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं हो सकता है। वादी को उक्त नम्बर का कभी कोई पटटा नहीं हुआ है। वादी के पास अगर कोई पटटा है तो वह जाली एवं झूठा फर्जी है। पटटा वादी ने स्वयं करा लिया है। वादी के कथित पटटे की बावत कोई पत्रावली तहसीलदार कार्यालय डिबाई में उपलब्ध नहीं है। कथित पटटा जाली, झूठा फर्जी है। खसरा नम्बर 336स का प्रतिवादी मालिक है। प्रतिवादी को विवादित पटटा हुआ है। पत्रावली तहसीलदार कार्यालय डिबाई में उपलब्ध है, पटटे का एप्रूवल उपजिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का नाम वास्तविक अभिलेखों में अंकित है। मौके पर विवादित स्थल से कोई वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। वादी ने नक्शा नजरी मौके के विपरीत बनाया है एवं गलत बनाया है।

7ण उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वाद में निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गयेः–

1. क्या वादी पटटा दिनांकित 17.03.1978 के आधार पर विवादित प्लाट भूमि नं0 336स का मालिक काबज है?

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3. क्या न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?

4. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

5. क्या वादी किसी उपशन को पाने का अधिकारी है?

8. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादबिन्दु संख्या 1 का निस्तारण करते हुये यह निष्कर्ष दिया है कि वादी द्वारा वाद में स्थायी *निषेधाज्ञा का अनुतोष मुख्यतः इस आधार पर याचित किया गया है कि विवादित खसरा संख्या 336स में से रकवा 0–1–10 (डेढ विस्वा) का आबादी का पटटा विवादित रूप से दिनांक 17.03.1978 को प्राप्त किया जिसकी चौहदिदयां वादपत्र केपैरा नं0 1 में वर्णित है। इस वाद में वेस ऑफ सूट पटटा दिनांकित 17.03.1978 है वादी द्वारा कागज संख्या 12ए1 मूल पटटा दाखिल किया गया, किन्तु वादी द्वारा उक्त पटटे से सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक के बावत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के दस्तावेज जैसे प्रस्ताव, अनुमोदन एवं कार्यवाही रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपियां वादी द्वारा दाखिल नहीं की गयी है। राजस्व संहिता 2006 की धारा 125 से 128 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पटटे के आवंटन के सम्बन्ध में प्रावधान किया है साथ ही राजस्व संहिता की नियमावली के नियम 119, 120 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पटटे का आवंटन से सम्बधित कार्यवाही की प्रकिया एवं आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत वाद जोकि पटटे पर आधारित है तब वादी द्वारा पटटे का आंवटन से सम्बन्धित कार्यवाही के आवश्यक प्रपत्रों के पत्रावली पर दाखिल करना चाहिए था। दूसरे पटटा भूमि प्रबन्धक समिति कुतुबपुर द्वारा आवंटित किया जाना अभिकथित किया है किन्तु प्रबन्धक समिति कुतुबपुर अथवा ग्राम सभा को वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।* ***पी0 डब्लू01*** *द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि ''खेत का नम्बर 336 है। यह पटटे का नम्मार है। पिताजी के लिए पटटा हुआ था। पिताजी का नाम पटटे के आधार पर खतौनी आया या नहीं हुआ मालुम नहं है।''* ***पी0 डब्लू0 2*** *द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि पटटे वाला कागज मुझे जयप्रकाश ने कभी दिखाया नहीं। झगडे वाली जमीन की मैं लम्बाई चौडाई नहीं बता सकता हूॅ क्योकि मैने कभी नापा नहीं है। क्योंकि*

मैं पढा लिखा नहीं हूँ। झगडे वाली जमीन पर इस मुकदमे के अलावा और कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मुझे यह भी नही पता कि यह पटटा किस प्रधान ने किया था। '' **पी0 डब्लू0 3** द्वारा अपने बयान में कथन किया गयाहै कि पटटे के ऐजेन्डा प्रस्ताव व मुनादी की कोई जानकारी मेरे लिये नही है। पटटी की फाईल की जानकारी मुझे नहीं है। पटटे की भूमि पर दखल मेरे सामने नहीं लाये गये थे।'' इस प्रकार वादपत्र में वर्णित पटटे की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकी है। अतः सत्यता के अभाव में उक्त पटटे के आधार पर वादी का स्वामित्व स्थल पर नहीं माना जा सकता।

जहां तक विवादित स्थल पर वादी के कब्जे का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई भी राजस्व अभिलेख पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र के कथनों के समर्थन में खसरा दिनांकित 04.08.2024 ग्राम कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई सन 1422 फसली दाखिल किया। जिसमें खसरा सं0 336 में असल काश्तकार का नाम नन्नूसिंह अंकित है एवं खतौनी संख्या 24सी1/2 में न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट पिटीशन सं0 1676/97 प्रेमराज सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु उ0 प्र0 व अन्य आदेश दिनांक 05.08.1997 बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के आदेश दिनांक 05.12.96 को इस न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। ह0र0 का0 3/11/2000 न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बुलन्दशहर वाद संख्या 89/2010 अन्तर्गत धारा 188(4) ज0वि0अधि0 मथुरिया किसान ई0 कां0 बनाम प्रेमसिंह आदि मौजा कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2011 के अन्तर्गत दावा/शिकायतें प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा भू0 प्र0 सं0 ग्राम कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 18.05.1993 व स्वीकृति दिनांक 24.07.1993 के द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल किया गया है। ह0 र0 का0 19.08.2011 श्रीमान

उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22.09.2011 के अनुपालन में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 18.05.1993 एवं उपजिलाधिकारी अनूपशहर की स्वीकृति दिनांक 24.07.1993 के अनुसार ग्राम समाज के स्थान पर निम्न आवंटियों का नाम उनके नाम के सम्मुख लिखित भूमि का अंसक्रमणीय भूमिधर काश्तकार आवंटित हो, आकार पत्र 57ख का क्रमांक 13 पर नन्नू सिंह पुत्र छीतर सिंह निवासी ग्राम गाटा सं0 336/0.190है0 लगान 9.35 पैसा अंकित है।

पी0 डब्लू01 *द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि कागजों में नन्नू का नाम बताते हैं। नन्नू सिंह का पटटे वाली पर कब्जा है। नम्बर 336 कितना खेत है उतना खेत दर्ज है जितना आबादी दर्ज है। पी0 डब्लू02 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि नन्नू सिंह की पटटे वाली जमीन में नन्नू सिंह के गेंहूॅ हुए हैं। हाजिर अदालत कलियान सिंह को जानता हूॅ। यह नन्नू सिंह के पुत्र हैं। नन्नू सिंह की खेती वादी कलियान करते हैं। झगडे वाली जमीन में गेहूॅ कलियान सिंह ने बोए हैं। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी को विवादित स्थल पर अपना कब्जा दखल एवं स्वामित्व साबित करना होता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के विवादित स्थल के सम्बन्ध में स्वामित्व एवं कब्जे से सम्बन्धित अभिकथन एवं साक्ष्य दोषपूर्ण एवं विरोधाभषी है ऐसी स्थिति में विवादित स्थल के सम्बन्ध में वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।''*

9. इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी का वाद इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वादी का विवादित भूमि पर स्वामित्व व कब्जा सम्बन्धी अभिकथन विरोधाभाषी हैं और वादी द्वारा कोई भी राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वादी द्वारा विवादित भूमि जरिये पटटा मालिक काबिज होना कहा है।

10. मूल पत्रावली वाद सं0 47 सन 2012 जय प्रकाश बनम नन्नू सिंह के अवलोकन विदित होता है कि वादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध

विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के पैरा 1 में यह कथन किया गया है कि वादी के पिता को ग्राम सभा कुतुबपुर परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर द्वारा खसरा सं0 336स में से 1.10 डेढ विस्वा भूमि का दिनांक 17.03.1078 को आबादी का पटटा दिया गया था। जिसके आधार पर वादी विवादित भूमि पर मालिक काबिल है। जबकि प्रतिवादी का यह कथन है कि खसरा सं0 336स मिनजुमला नम्बर है, जिसमें वादी की भूमि स्पष्ट नहीं है और मिनजुमला होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादी को कोई पटटा नहीं हुआ है वादी के पास यदि कोई पटटा है तो वह जाली व फर्जी है।

11. पत्रावली पर अमीन आख्या 14सी उपलब्ध है, जिसमें विवादित भूमि को अक्षर ए0 बी0 सी0 डी0 से दर्शित किया गया है। जिस पर वादी का सामान व आबादी होना दर्शित किया गया है।

12. वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खतौनी व खसरा के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित भूमि पर वादी का नाम कहीं भी अंकित नहीं हैं। अतः विवादित भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों के अभाव में वादी का विवादित भूमि पर कब्जा दखल साबित नहीं है। केवल अमीन आख्या के आधार पर वादी को विवादित भूमि का मालिक काबिज नहीं माना जा सकता। वादी की ओर से कोई भी पटटा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा जो पटटा इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वह पटटा नहीं है। भूमि का पटटा परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित व अधिकृत होता है। ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया कोई भी पटटा सम्बन्धी अभिलेख भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी का वाद सव्यय निरस्त किया गया है, जोकि विधि सम्मत है। आलोच्य आदेश व निर्णय दिनांकित 31.03.2026 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई

बल प्रतीत नहीं होता है, तदानुसार प्रस्तुत सिविल अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 04 सन 2026 जय प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि निरस्त की जाती है तथा मूलवाद संख्या 47 सन 2012 जय प्रकाश बनाम नन्नू सिंह में विद्वान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय डिबाई, बुलन्दशहर द्वारा किया गया निर्णय व आदेश दिनांकित 31.03.2026 पुष्ट किया जाता है। मूल पत्रावली इस आदेश के साथ सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित हो।

पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक 12.08.2026

(राजेश कुमार–III),
अपर जिला न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
J.O.Code N0-U.P.5962

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 12.08.2026

(राजेश कुमार–III),
अपर जिला न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
J.O.Code N0-U.P.5962